न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कम–1,जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : **विनोद कुमार गुप्ता–II (आर.जे.एस.)**

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र सं. : 286/26

पौरव कालेर पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–38 साल, निवासी रामपुर, पुलिस थाना छापर, जिला चुरू। हाल बी6, 185 सुदर्शना नगर, नागणेची माता के मन्दिर के पीछे, पुलिस थाना व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर (राज.)।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक। **––अभियोगी**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस (439 द.प्र.सं.) (अन्तरिम), प्र.सू.रि.सं. 39/24 पुलिस थाना एस.ओ.जी., जयपुर धारा 419, 420, 201, 120बी भा.द.सं., धारा 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट

उपस्थित :–
1– श्री विपुल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त।
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य।

–:: **आदेश** ::– **दिनांक : 02–06–2026**

1 इस आदेश के जरिये प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर द्वारा एक माह की अन्तरिम जमानत चाहने हेतु प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (अन्तरिम) (पूर्व में एक बार नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं) का निस्तारण किया जा रहा है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण संख्या 10/24 का अनुसंधान के दौरान ये तथ्य आये कि रामसहाय आदर्श सैकण्डरी स्कूल, बीकानेर का दिनेश सिंह चौहान स्कूल का संचालक है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाली ब्लूटूथ से परीक्षा में नकल करवाने वाली संगठित गैंग के Kingpin तुलछाराम कालेर, राजाराम उर्फ राजू मैट्रिक्स, प्रवीण कुमार, पौरव कालेर व दिनेश सिंह चौहान का सम्पर्क पिछले 6–7 वर्षों से आपस में एक दूसरे से था। इस गैंग के सदस्य रामसहाय आदर्श सैकण्डरी स्कूल बीकानेर सेन्टर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अपने परिचित अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र हल करवाने में दिनेश सिंह चौहान से मदद लेते थे। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती 2018 में कुल 180 पदों की भर्ती के सम्बन्ध में परीक्षा 06–01–19 को आयोजित की गई तथा इस परीक्षा का एक परीक्षा केन्द्र श्री रामसहाय आदर्श सैकण्डरी स्कूल बीकानेर

में था तथा तुलछाराम कालेर, पौरव कालेर, राजू मैट्रिक्स व दिनेश सिंह चौहान मिलकर इस परीक्षा केन्द्र से प्रश्न पत्र लीक करने के आपराधिक षडयंत्र में एकमत हुए और उक्त परीक्षा में उक्त संचालक दिनेश सिंह ने राजाराम उर्फ राजू मैट्रिक्स को परीक्षा शुरू होने से पूर्व पेपर दिया, राजू मैट्रिक्स ने पेपर की फोटो अपने मोबाइल से लेकर पेपर पौरव कालेर के मोबाइल पर सैण्ड कर दिया। पौरव कालेर ने पेपर का प्रिन्ट आउट निकालकर इस पेपर को तुलछाराम कालेर, पौरव कालेर व अनिल मीणा ने सॉल्व किया। पौरव कॉलेर ने इस पेपर को प्रवीण कुमार को मोबाइल पर भेजा, जिस पर पेपर के गणित व समसामयिकी के प्रश्न प्रवीण कुमार द्वारा सॉल्व किये गये। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को पौरव कालेर व तुलछाराम कालेर ने ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से प्रश्नों के उत्तर बताकर पेपर हल करने में मदद की, जिससे सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती 2018 में माया विश्नोई, मंजू जाट, सुमन जाट व अन्य अंतिम रूप से चयनित होने में सफल रहे। पेपर उपलब्ध करवाने के बदले पौरव कालेर ने राजू मैट्रिक्स व दिनेश सिंह चौहान को एक लाख रुपये नकद दिये तथा परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों से 15–20 लाख रुपये लेकर लाभ प्राप्त किया। इत्यादि...

3 उक्त रिपोर्ट पर 39/24 धारा 419, 420, 120बी भा.द.सं. व 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का प्रयोग) अधिनियम 1992 व 66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4 बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी के पिता ओम प्रकाश कालेर गंभीर रूप से बीमार चल रहे है और चिकित्सकों ने उनके हार्ट फेलियर के लक्षण बताए हैं तथा वर्तमान में वे ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ वेन्टीलेटर पर इलाजरत हैं तथा चिकित्सकों ने यह बताया है कि ओमप्रकाश कालेर अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रार्थी पोरव कालेर अपने पिता की अंतिम समय में सेवा करने हेतु एक माह की अंतरिम जमानत चाहता है, अतः उसे एक माह की अन्तरिम जमानत प्रदान की जाए। अपने तर्कों के समर्थन में ओमप्रकाश कालेर के उपचार के दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कीं।

5 विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अन्तरिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

6 प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में निम्न प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं :–

क्र.सं.	मु.सं. व धारा	थाना	वर्तमान स्थिति
1	251/21, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 66बी आईटी एक्ट	गंगाशहर, बीकानेर	पेण्डिंग कोर्ट
2	292/21, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 66डी आईटी एक्ट	जेएनवीसी, बीकानेर	पेण्डिंग कोर्ट
3	57/14, धारा 420, 109, 120बी भा.द.सं. व धारा 3/6 राज. सार्व. परीक्षा अधिनियम 1992	जेएनवीसी, बीकानेर	पेण्डिंग कोर्ट
4	142/14, धारा 420, 120बी भा.द.सं. व धारा 5/6 राज. सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, 12 आईटी एक्ट	जेएनवीसी, बीकानेर	पेण्डिंग कोर्ट
5	165/23, धारा 420, 120बी भा.द.सं. व 2(च) (1)(ा), 3/10 राज. सार्व. परीक्षा अधिनियम 2022 व धारा 3/6 राज. सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992	गंगाशहर बीकानेर	
6	66/24, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6,10 राज. सार्व. परीक्षा अधिनियम 2022 ईओ आरओ भर्ती	एसओजी जयपुर	पेण्डिंग कोर्ट
7	10/24, धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201,109 सपठित धारा 34, 120बी भा.द.सं., धारा 3, 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट	एसओजी,, जयपुर	पेण्डिंग कोर्ट
8	09/25, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. व धारा 3, 4, 6, 10 राज. सार्व. परीक्षा अधिनियम 2022 हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022	एसओजी जयपुर	पेण्डिंग कोर्ट
9	35/25, धारा 420, 120बी भा.द.सं. व धारा 4, 5, 6 राज. सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, 66डी आईटी एक्ट	एसओजी जयपुर	

7 पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पौरव कालेर के विरूद्ध, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा महिला सुपरवाइजर परीक्षा का पेपर प्राप्त कर, अनिल मीना, प्रवीण कुमार द्वारा प्रश्न पत्र हल करवाने के पश्चात्, ब्लूटूथ डिवाइस से महिला अभ्यर्थी को परीक्षा के पेपर के प्रश्नों के उत्तर बताकर, नकल करवाई है, जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य महिला महिला सुपरवाइजर पद हेतु चयनित हुई तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 419, 420, 201, 120बी भा.द.सं., धारा 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम 1992 व धारा 66डी आईटी एक्ट के अपराध का अभियोग है।

8 प्रार्थी/अभियुक्त के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 29–05–26 को अन्य प्रकरण संख्या 66/24, 09/25 व 10/24 में कारागार व एसओजी से रिपोर्ट तलब की गई थी। जिसमें कारागार की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त की आचरण रिपोर्ट में अभियुक्त का आचरण सामान्य बताया गया है तथा एसओजी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के पिता की देखभाल हेतु उसका भाई तनुज, अभियुक्त का ताउ गणपत कालेर सेवानिवृत सीएमएचओ, अभियुक्त का चाचा ईश्वर व अभियुक्त की पत्नी भावना गोस्वामी उपलब्ध हैं तथा और यह भी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अभियुक्त के परिवार में 9 सदस्य एवं आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पिता की देखभाल के लिये पर्याप्त व्यक्ति अभियुक्त के

परिवार में मौजूद हैं और अभियुक्त द्वारा नकल कराकर महिला सुपरवाईजर भर्ती परीक्षा 2018 में अयोग्य महिला अभ्यर्थियों को चयनित कराने का गम्भीर प्रकृति के अपराध का आरोप अभियुक्त के विरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध कई अन्य प्रकरण दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को एक माह की अन्तरिम जमानत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

आ दे श

9 निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त पोरव कालेर पुत्र श्री ओमप्रकाश की ओर से द.प्र.सं. की धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 द.प्र.सं.) के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र (अन्तरिम) (पूर्व में एक बार नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर, द्वितीय

10 आदेश आज दिनांक 02–06–2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर द्वितीय